ख़ियानत और उसकी राइज सूरतें

ख़िताब

जस्टिस मौलाना मुहम्मद तक़ी उस्मानी

ख़ियानत

और उसकी राइज सूरतें

ख़िताब

जस्टिस मौलाना मुहम्मद तक़ी उस्मानी

अनुवादक

मु० इमरान क़ासमी एम०ए० (अलीग)

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो (प्रा०) लिमि०

422, मटिया महल, ऊर्दू मार्किट, जामा मस्जिद देहली 6

फ़ोन आफ़िस 3289786,3289159 आवास 3262486

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

नाम किताब	ख़ियानत और उसकी राइज सूरतें
ख़िताब	मौलाना मु० तक़ी उस्मानी
अनुवादक	मु० इमरान क़ासमी
संयोजक	मौ० नासिर ख़ान
तायदाद	1100
प्रकाशन वर्ष	जुलाई 2001
कम्पोज़िंग	इमरान कम्प्यूटर्स मुज़फ़्फ़र नगर (0131-442408)

>>>>>>>>>>>>>

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो (प्रा०) लिमि०

422, मटिया महल, उर्दू मार्किट, जामा मस्जिद देहली 6

फ़ोन आफ़िस 3289786, 3289159, आवास 3262486

फ़ेहरिस्त

क्र.स.	क्या?	कहां?
1.	अमानत की ताकीद	6
2.	अमानत का तसव्वुर	6
3.	अमानत के मायने	7
4.	यौमे अलस्त में इक्रार	8
5.	यह ज़िन्दगी अमानत है	9
6.	यह जिस्म एक अमानत है	10
7.	आंख एक नेमत है	10
8.	आंख एक अमानत है	11
9.	"कान" एक अमानत है	12
10.	ज़बान एक अमानत है	13
11.	ख़ुदकुशी क्यों हराम है?	13
12.	गुनाह करना ख़ियानत है	14
13.	"आ़रियत" की चीज़ अमानत है	15
14.	ये बर्तन अमानत हैं	16
15.	यह किताब अमानत है	17
16.	नौकरी के औक़ात अमानत हैं	17
17.	दारुल उलूम देवबन्द के उस्तादों का मामूल	18
18.	हज़रत शैख़ुल हिन्द रह० की तन्ख़ाह	19
19.	आज हुकूक़ के मुतालबे का दौर है	21
20.	हर शख़्स अपने फ़राइज़ की निगरानी करे	21

क्र.स.	क्या?	कहां?
21.	यह भी नाप तौल में कमी है	23
22.	"मन्सब" और "ओहदा" ज़िम्मेदारी का फन्दा	23
23.	क्या ऐसे शख़्स को ख़लीफ़ा बना दूं?	24
24.	हज़रत उमर रजि० और एहसासे ज़िम्मेदारी	25
25.	पाकिस्तान का मस्अला नम्बर एक "ख़ियानत" है	27
26.	दफ़्तर का सामान अमानत है	27
27.	सरकारी चीज़ें अमानत हैं	28
28.	हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का परनाला	29
29.	मज्लिस की गुफ़्तगू अमानत है	31
30.	राज़ की बातें अमानत हैं	31
31.	टेलीफ़ोन पर दूसरों की बातें सुनना	32
32.	खुलासा	33

ख़ियानत

और उसकी राइज सूरतें

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَاوَسَنَدَنَاوَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا اَمَّا بَعْدُ:

"عن ابی هریرة رضی الله تعالیٰ عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : آیة المنافق ثلاث، اذا حدث کذب، واذا وعد اخلف، واذا اوتمن خان، وفی روایة وان صلی وصام وزعم انه مسلم.

(صحیح بخاری)

इस हदीस में नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मुनाफ़िक़ की तीन निशानियां बयान फ़रमायी हैं, और इशारा इस बात की तरफ़ फ़रमा दिया कि ये तीन काम मोमिन के काम नहीं हैं, और जिसमें ये तीन बातें पायी जायें वह सही मायने में मुसलमान और मोमिन कहलाने का हक़दार नहीं। इनमें से दो का बयान पिछले दो जुमों में अल्हम्दु लिल्लाह किसी क़दर तफ़सील के साथ हो गया था। अल्लाह तआला हमें उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये, आमीन।

अमानत की ताकीद

मुनाफ़िक़ की तीसरी निशानी जो बयान फ़रमाई, वह है "अमानत में ख़ियानत" यानी मुसलमान का काम नहीं है कि वह अमानत में ख़ियानत करे, बल्कि यह मुनाफ़िक़ का काम है। बहुत सी आयतों और हदीसों में अमानत पर ज़ोर दिया गया है, और अमानत के तक़ाज़ों को पूरा करने की ताकीद फ़रमाई गयी है, चुनांचे कुरआने करीम में अल्लाह तआला का इरशाद है:

"اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا" (سورة النسآء: ٨٠)

यानी अल्लाह तआला तुम्हें हुक्म देते हैं कि अमानतों को उनके अहल तक और उनके हक़दारों तक पहुंचाओ, और इसकी इतनी ताकीद फ़रमाई गयी है कि एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि:

"لاايمان لمن لا امانة له" (مسند احمد)

यानी जिसके अन्दर अमानत नहीं, उसके अन्दर ईमान भी नहीं। गोया कि ईमान का लाज़मी तक़ाज़ा है कि आदमी अमीन हो, अमानत में ख़ियानत न करता हो।

अमानत का तसव्वुर

लेकिन आजकी मज्लिस में जिस बात की तरफ़ तवज्जोह दिलानी है, वह यह है कि हम लोगों ने इन तमाम चीज़ों का मतलब और मफ़्हूम बहुत महदूद समझा हुआ है। हमारे ज़ेहनों में अमानत का सिर्फ़ इतना तसव्वुर है कि कोई शख़्स पैसे लेकर आये और यह कहे कि यह पैसे आप बतौरे अमानत अपने पास रख लीजिये। जब ज़रूरत होगी उस वक़्त मैं आपसे

वापस ले लूंगा, तो यह अमानत है। और अगर कोई शख़्स अमानत में ख़ियानत करते हुये उन पैसों को खाकर ख़त्म कर दे, या जब वह शख़्स अपने पैसे मांगने आये तो उसको देने से इन्कार कर दे तो यह ख़ियानत हुयी। हमारे ज़ेहनों में अमानत और ख़ियानत का बस इतना ही तसव्वुर है, इससे आगे नहीं है। बेशक यह भी अमानत में ख़ियानत का हिस्सा है, लेकिन कुरआन व हदीस की इस्तिलाह में "अमानत" इस हद तक महदूद नहीं, बल्कि "अमानत" का मफ़्हूम बहुत वसी (फैला हुआ) है, और बहुत सारी चीज़ें अमानत में दाख़िल हैं, जिनके बारे में अक्सर व बेश्तर हमारे ज़ेहनों में यह ख़्याल भी नहीं आता कि यह भी अमानत है और इसके साथ "अमानत" जैसा सुलूक करना चाहिये।

अमानत के मायने

अर्बी ज़बान में "आमनत" के मायने यह हैं कि किसी शख़्स पर किसी मामले में भरोसा करना, इसलिये हर वह चीज़ जो दूसरे को इस तरह सुपुर्द की गयी हो, कि सुपुर्द करने वाले ने उस पर भरोसा किया हो कि यह उसका हक़ अदा करेगा, यह है अमानत की हक़ीक़त। इसलिये कोई शख़्स कोई काम या कोई चीज या कोई माल जो दूसरे के सुपुर्द करे, और सुपुर्द करने वाला इस भरोसे पर सुपुर्द करे कि यह शख़्स इस सिलसिले में अपने फ़रीज़े को सही तौर पर बजा लायेगा। और उसमें कोताही नहीं करेगा, यह अमानत है। इसलिये "अमानत" की इस हक़ीक़त को सामने रखा जाये तो बेशुमार चीज़ें इसमें दाख़िल हो जाती हैं।

यौमे अलस्त में इक़रार

अल्लाह तआला ने "यौमे अलस्त" में इन्सानों से जो अ़हद लिया था कि मैं तुम्हारा परवर्दिगार हूं या नहीं? और तुम मेरी इताअ़त करोगे या नहीं? तमाम इन्सानों ने इक़रार किया कि हम आपकी इताअ़त करेंगे, इस अ़हद को कुरआने करीम ने सूरः अहज़ाब के आख़री रुकूअ़ में अमानत से ताबीर फ़रमाया है, फ़रमाया कि:

"اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا"

(سورة الاحزاب:٧٢)

यानी हमने ज़मीन पर अमानत पेश की और उससे पूछा कि तुम इस अमानत के बोझ को उठाओगी? तो उसने इस अमानत के उठाने से इन्कार कर दिया। फिर आसमानों पर पेश की कि तूम यह अमानत उठाओगे? उन्हों ने भी इन्कार कर दिया, और फिर पहाड़ों पर यह अमानत पेश की कि तुम इस अमानत के बोझ को उठाओगे? उन्हों ने भी इस अमानत को उठाने से इन्कार कर दिया। सब इस अमानत को उठाने से डर गये। लेकिन जब यह अमानत इस हज़रते इन्सान पर पेश की गयी तो इसने बड़े बहादुर बन कर आगे बढ़ कर इक़रार कर लिया कि मैं इस अमानत को उठाऊंगा। चुनांचे अल्लाह तआला फ़रमाते हैं कि यह इन्सान बड़ा ज़ालिम और जाहिल था कि इतने बड़े बोझ को उठाने के लिये आगे बढ़ गया, और यह न सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि मैं इस अमानत के बोझ को उठाने से आजिज़ रह जाऊं, जिसकी

वजह से मेरा अन्जाम ख़राब हो जाये।

यह ज़िन्दगी अमानत है

बहर हाल, इस बोझ को अल्लाह तआला ने "अमानत" के लफ्ज़ से ताबीर फ़रमाया। यह अमानत क्या चीज़ थी जो इन्सान पर पेश की जा रही थी? चुनांचे मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि यहां अमानत के मायने यह हैं कि इस इन्सान से यह कहा जा रहा था कि तुम्हें एक ज़िन्दगी दी जायेगी और उसमें तुम्हें अच्छे काम करने का भी इख़्तियार दिया जायेगा और बुरे काम करने का भी। और जब अच्छे काम करोगे तो हमारी ख़ुशनूदी हासिल होगी, जन्नत की हमेशा रहने वाली नेमतें तुम्हें हासिल होंगी। और अगर बुरे काम करोगे तो उसके नतीजे में तुम पर हमारा ग़ज़ब होगा, और जहन्नम का हमेशा रहने वाला अज़ाब तुम पर होगा, अब बताओ तुम्हें ऐसी ज़िन्दगी मन्ज़ूर है या नहीं? चुनांचे और सबने इन्कार कर दिया, लेकिन इन्सान इसके लिये तैयार हो गया, हाफ़िज़ शीराज़ी रह्मतुल्लाहि अलैहि इसी को बयान फ़रमाते हैं कि:

आसमान बारे अमानत नतवानद कशीद
कुरा–ए–फ़ाल बनामे मन दीवाना ज़द

यानी आसमान से तो यह बोझ नहीं उठा, उसने तो इन्कार कर दिया कि यह मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन यह हज़रते इन्सान, हड्डियों के ढांचे ने यह बोझ उठा लिया, और कुरा–ए–फ़ाल मेरे नाम पर पड़ गया। बहर हाल! कुरआने करीम ने इसको "अमानत" से ताबीर फ़रमाया है।

यह जिस्म एक अमानत है

यह पूरी ज़िन्दगी हमारे पास अमानत है और इस अमानत का तक़ाज़ा यह है कि इस ज़िन्दगी को अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के अह्काम के मुताबिक़ गुज़ार दें। इस लिये सब से बड़ी अमानत जो हर इन्सान के पास है, जिस से कोई इन्सान भी अलग नही है, वह अमानत खुद उसका "वजूद" और उसकी "ज़िन्दगी" और उसके आज़ा व बदन के हिस्से हैं, उसके औक़ात, उसकी ताक़तें हैं, ये सब अमानत हैं। क्या कोई शख़्स यह समझता है कि मैं अपने इस हाथ का मालिक हूं, यह आंख जो मुझे मिली हुयी है, मैं इसका मालिक हूं, ऐसा नहीं, बल्कि ये हमारे आज़ा हमारे पास अमानत हैं, हम इनके मालिक नहीं हैं कि जिस तरह चाहें इनको इस्तेमाल करें, बल्कि आज़ा की ये नेमतें अल्लाह तआ़ला ने हमें इस्तेमाल के लिये अ़ता फ़रमाई हैं। इसलिये इस अमानत का तक़ाज़ा यह है कि इन आज़ा को, अपने वजूद को, अपनी सलाहियतों को और अपनी ताक़तों को उसी काम में ख़र्च करें, जिस काम के लिये ये दी गयी हैं, इसके अ़लावा दूसरे कामों में ख़र्च करेंगे तो यह अमानत में ख़ियानत होगी।

आंख एक नेमत है

जैसे आंख अल्लाह तआ़ला की एक नेमत है जो उसने हमें अ़ता फ़रमाई है और यह ऐसी नेमत है कि सारी दुनिया का माल व दौलत ख़र्च करके इसको हासिल करना चाहे तो हासिल नहीं हो सकती, लेकिन इसकी क़दर इसलिये नहीं है कि पैदाइश के वक़्त से यह सरकारी मशीन लगी हुई है, और

काम कर रही है। इसके हासिल करने में न तो कोई पैसा लग
हैं और न कोई मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन जिस दिन ख़ुद
न करे इस आंख की रोशनी पर मामूली सा नुक़्स आ जाये
और इस बात का अन्देशा हो कि कहीं मेरी यह रोशनी न चल
जाये, उस वक़्त इसकी क़दर व क़ीमत मालूम होती है, औ
उस वक़्त आदमी सारी दौलत एक आंख की बीनाई (रोशनी
के लिये ख़र्च करने पर तैयार हो जाता है। और यह ऐस
सरकारी मशीन है कि न इसकी सर्विस की ज़रूरत है न इसक
ओवर हॉलिंग की ज़रूरत, न इसका माहाना ख़र्च, न टैक्स,
किराया, बल्कि मुफ़्त मिली हुई है।

आंख एक अमानत है

लेकिन यह मशीन अल्लाह तआला ने बतौर अमानत के
रखी है, और यह फ़रमा दिया है कि इस मशीन को इस्तेमाल
करो, इसके ज़रिये दुनिया को देखो, दुनिया का नज़ारा करो
दुनिया के मनाज़िर से लुत्फ़ उठाओ, सब कुछ करो लेकि
सिर्फ़ चन्द चीज़ों को देखने से मना कर दिया कि इस सरकार
मशीन को इन कामों में इस्तेमाल न करें, जैसे हुक्म दे दिय
कि इसके ज़रिये ना महरम पर निगाह न डाली जाये, अ
अगर इसके ज़रिये हमने ना महरम की तरफ़ निगाह डाली त
यह अल्लाह तआला की अमानत में ख़ियानत हुई, इसी लि
कुर्आने करीम ने ना महरम की तरफ़ निगाह करने क
ख़ियानत से ताबीर फ़रमाया, चुनांचे फ़रमाया कि:

"يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ" (سورۃ غافر:۹)

यानी आंखों की ख़ियानत को अल्लाह तआला जानते

कि तुमने इसको ऐसी जगह इस्तेमाल किया जहां इस्तेमाल करने से अल्लाह तआ़ला ने मना फ़रमा दिया था। यह ऐसा है जैसा कि किसी शख़्स ने दूसरे के पास अपना माल बतौरे अमानत रखवाया, और अब वह चोरी छुपे आंख बचाकर उसका माल इस्तेमाल करना चाहता है, वही मामला वह अल्लाह तआ़ला की दी हुई नेमत के साथ भी करता है, और बेवकूफ़ को यह पता नहीं है कि अल्लाह तआ़ला से कोई अमल छुप नहीं सकता। इसलिये अल्लाह तआ़ला ने आंखों की ख़ियानत को बहुत बड़ा गुनाह और जुर्म क़रार दिया, और नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस पर वअ़ीदें (डांट डपट) बयान फ़रमायीं।

और अगर आंख की इस अमानत और नेमत को सही जगह इस्तेमाल करो तो अल्लाह तआ़ला की रह्मत का नुज़ूल होता है, हदीस शरीफ़ में है कि अगर एक शख़्स बाहर से घर के अन्दर दाख़िल हुआ, और उसने अपनी बीवी को मुहब्बत की निगाह से देखा, और बीवी ने शौहर को मुहब्बत की निगाह से देखा तो उस वक़्त अल्लाह तआ़ला दोनों को रह्मत की निगाह से देखते हैं। इसलिये कि उसने इस अमानत को सही जगह पर इस्तेमाल किया, अगरचे अपनी ज़ाती लज़्ज़त के लिये, अपने फ़ायदे के लिये किया मगर चूंकि अल्लाह तआ़ला के हुक्म के मुताबिक़ किया इसलिये उन पर अल्लाह तआ़ला की रह्मत नाज़िल हुयी।

"कान" एक अमानत है

अल्लाह तबारक व तआ़ला ने कान सुनने के लिये अ़ता

फ़रमाया है, और फिर हर चीज़ सुनने की इजाज़त दे दी, सिर्फ़ चन्द चीज़ों पर पाबन्दी लगा दी कि तुम गाना बजाना मत सुनना, मौसीक़ी मत सुनना, ग़ीबत मत सुनना, ग़लत झूठी बातें मत सुनना, इसलिये कान इन चीज़ों के सुनने में इस्तेमाल हो रहा है तो यह अमानत में ख़ियानत है।

ज़बान एक अमानत है

"ज़बान" अल्लाह तआला की एक ऐसी नेमत है जो पैदाइश के वक़्त से चल रही है, और मरते दम तक चलती रहती है, ज़बान की ज़रा सी हर्कत से न जाने क्या क्या काम इन्सान ले रहा है, यह ज़बान इतनी बड़ी नेमत है कि अगर एक मर्तबा ज़बान को हर्कत देकर यह कह दो:

"سبحان الله والحمد لله"

"सुब्हानल्लाहि वल हम्दु लिल्लाहि"

हदीस शरीफ़ में है कि इसके ज़रिये से अमल की तराज़ू का आधा पलड़ा भर जाता है, इसलिये इसके ज़रिये आख़िरत की तैयारी करनी चाहिये। लेकिन अगर इस ज़बान को झूठ बोलने में इस्तेमाल किया, ग़ीबत करने में इस्तेमाल किया, मुसलमान का दिल दुखाने में इस्तेमाल किया, दूसरों को तक्लीफ़ पहुंचाने में इस्तेमाल किया तो यह अमानत में ख़ियानत है।

ख़ुदकुशी क्यों हराम है?

यह तो सिर्फ़ आज़ा (जिस्म के हिस्सों) की बात थी। हमारा यह पूरा वजूद, पूरा जिस्म अल्लाह तआला की अमानत है, बाज़ लोगों का यह ख़्याल है कि यह जिस्म हमारा अपना है,

इसलिये इसके साथ जो चाहें करें। हालांकि ऐसा नहीं है, बल्कि यह जिस्म अल्लाह तआला की अमानत है। इसलिये शरीअत में ख़ुदकुशी करना हराम है। अगर यह जिस्म हमारा अपना होता तो ख़ुदकुशी क्यों हराम होती। वह इसलिये हराम है कि यह जान, यह जिस्म, यह वजूद, यह आज़ा हक़ीक़त में हमारी मिल्कियत नहीं हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की मिल्कियत हैं।

जैसे यह किताब मेरी मिल्कियत है, अब अगर मैं किसी शख़्स से कहूं कि यह किताब तुम ले जाओ, मेरे लिये जायज़ है, लेकिन अगर कोई दूसरे शख़्स से कहे कि मुझे क़त्ल कर दो, मेरी जान ले लो, अब उसने क़त्ल करने की इजाज़त दे दी, स्टाम्प पेपर पर लिख कर दे दिया, दस्तख़त कर दिये, मुहर भी लगा दी, सब कुछ कर दिया लेकिन इसके बावजूद जिसको क़त्ल की इजाज़त दी गयी है, उसके लिये क़त्ल करना जायज़ नहीं। क्यों? इसलिये कि यह जान उसकी मिल्कियत नहीं है, अगर उसकी मिल्कियत होती, तब वह दूसरे को उसके लेने की इजाज़त दे सकता था, इसलिये जब मिल्कियत नहीं तो फिर दूसरे को इजाज़त देने का भी हक़ हासिल नहीं है।

गुनाह करना ख़ियानत है

अल्लाह तआला ने यह पूरा वजूद, पूरी जान और ये सलाहियतें और तवानाईयां ये सब हमें अमानत के तौर पर अता फ़रमायी हैं, इसलिये अगर ग़ौर से देखा जाये तो यह पूरी ज़िन्दगी अमानत है, इसलिये ज़िन्दगी का कोई काम और इन

आज़ा से किया जाने वाला कोई अमल, कोई क़ौल, कोई फ़ेल ऐसा न हो जो अल्लाह तआ़ला की दी हुयी इस अमानत में ख़ियानत का सबब बने। इसलिये अमानत का जो महदूद (सीमित) तसव्वुर हमारे ज़ेहनों में है कि कोई शख़्स आकर पैसे रखवायेगा, और हम सन्दूकची खोल कर उसमें वे पैसे रखेंगे, और ताला लगा देंगे, अब अगर उन पैसों को निकाल कर ख़र्च कर लिया तो यह ख़ियानत होगी। अमानत का इतना महदूद तसव्वुर ग़लत है। बल्कि यह पूरी ज़िन्दगी एक अमानत है। और ज़िन्दगी का एक एक क़ौल व फ़ेल अमानत है।

इसलिये यह जो फ़रमाया कि अमानत में ख़ियानत करना निफ़ाक़ की अलामत (निशानी) है इसका मतलब यह है कि जितने भी गुनाह हैं, चाहे वह आंख का गुनाह हो, या कान का गुनाह हो, या ज़बान का गुनाह हो, या किसी और उज़्व का गुनाह हो, वे सारे अमानत में ख़ियानत के अन्दर दाख़िल हैं, और वे मोमिन के काम नहीं हैं, बल्कि मुनाफ़िक़ के काम हैं।

"आ़रियत" की चीज़ अमानत है

ये तो अमानत के बारे में आम बातें थीं, लेकिन अमानत के कुछ ख़ास ख़ास शोबे भी हैं, कभी कभी हम उनको अमानत नहीं समझते, और अमानत जैसी हिफ़ाज़त नहीं करते। जैसे "आ़रियत" की चीज़ है, "आ़रियत" उसको कहते हैं कि एक आदमी को एक चीज़ की ज़रूरत थी, वह चीज़ उसके पास नहीं थी। इसलिये उसने वह चीज़ इस्तेमाल करने के लिये दूसरे से मांग ली कि मुझे फ़लां चीज़ की ज़रूरत है, थोड़ी देर के लिये दे दो, अब यह "आ़रियत" की चीज़ "अमानत" है।

जैसे मेरा एक किताब पढ़ने को दिल चाह रहा था, लेकिन वह किताब मेरे पास नहीं थी, इसलिये मैंने दूसरे शख़्स से पढ़ने के लिये वह किताब मांग ली कि मैं पढ़ कर वापस कर दूंगा, अब यह किताब मेरे पास "आ़रियत" है, शरीअ़त की इस्तिलाह में इसको आ़रियत कहा जाता है। और यह आ़रियत की चीज़ अमानत होती है, इसलिये उस लेने वाले शख़्स के लिये जायज़ नहीं है कि वह उस चीज़ को मालिक की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे। बल्कि उसे चाहिये कि उस आ़रियत की चीज़ को इस तरह इस्तेमाल न करे, जिस से मालिक को तक्लीफ़ हो, और दूसरे यह कि उसको वक़्त पर मालिक के पास लौटाने की फ़िक्र करे।

ये बर्तन अमानत हैं

हज़रत मौलाना शाह अशरफ़ अ़ली साहिब थानवी रह्मतुल्लाहि अ़लैहि ने बेशुमार मवाइज़ (तक़रीरों) में इस बात पर तंबीह फ़रमाई है कि लोग कस्रत से ऐसा करते हैं कि जब उनके घर किसी ने खाना भेज दिया, उस बेचारे भेजने वाले से ग़लती हो गयी कि उसने आपके घर खाना भेज दिया। अब सही तरीक़ा तो यह था कि वह खाना तुम दूसरे बर्तन में निकाल लो, और वह बर्तन उसको वापस कर दो, मगर होता यह है कि वह बेचारा खाना भेजने वाला बर्तन से भी मह्रूम हो गया, चुनांचे वे बर्तन घर में पड़े हुये हैं, वापस पुहंचाने की फ़िक्र नहीं, बल्कि कभी कभी यह होता है कि उन बर्तनों को ख़ुद अपने इस्तेमाल में लाने शुरू कर दिये, यह अमानत में ख़ियानत है, इसलिये कि वे बर्तन आपके पास बतौरे आ़रियत

के आये थे, आपको उनका मालिक नहीं बनाया गया था। इसलिये उन बर्तनों का इस्तेमाल करना, और उनको वापस पहुंचाने की फ़िक्र न करना अमानत में ख़ियानत है।

यह किताब अमानत है

या जैसे आपने किसी से किताब पढ़ने के लिये ले ली, और किताब पढ़ कर उसको मालिक के पास वापस नहीं पहुंचाई यह अमानत में ख़ियानत है, यहां तक कि अब तो लोगों में यह कहावत भी मश्हूर हो गयी है कि "किताब की चोरी जायज़ है" और जब किताब की चोरी जायज़ हो गयी तो अमानत में ख़ियानत बतरीक़े औला जायज़ होगी। अगर किसी ने कोई किताब पढ़ने के लिये दे दी तो अब लौटाने का कोई सवाल नहीं, हालांकि ये सब बातें अमानत में ख़ियानत के अन्दर दाख़िल हैं, इसी तरह जितनी आ़रियत की चीज़ें हैं, जो आपके पास किसी भी तरीक़े से आई हों, उनको हिफ़ाज़त से रखना और उनको मालिक की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल न करना वाजिब और फ़र्ज़ है, उसकी ख़िलाफ़ वर्ज़ी करना जायज़ नहीं।

नौकरी के औक़ात अमानत हैं

इसी तरह एक शख़्स ने कहीं नौकरी कर ली, और नौकरी में आठ घन्टे ड्यूटी देने का मुआ़हदा हो गया, ये आठ घन्टे उसके हाथ बेच दिये, इसलिये ये आठ घन्टे के औक़ात आपके पास उस शख़्स के अमानत हैं जिसके यहां आपने नौकरी की है। इसलिये इन आठ घन्टों में एक मिन्ट भी आपने किसी ऐसे काम में ख़र्च कर दिया, जिसमें ख़र्च करने की मालिक की

इजाज़त नहीं थी तो यह अमानत में ख़ियानत है, जैसे ड्यूटी के औक़ात में दोस्त मिलने के लिये आ गये अब उनके साथ होटल में बैठ कर बातें हो रही हैं, यह वक़्त उसमें ख़र्च हो रहा है, हालांकि यह वक़्त तुम्हारा बिका हुआ था, तुम्हारे पास अमानत था, तुमने इस वक़्त को बातों में और हंसी मज़ाक़ में गुज़ार दिया तो यह अमानत में ख़ियानत है।

अब बताइये, हम लोग कितने ग़ाफ़िल हैं कि जो औक़ात बिके हुये हैं, हम उनको दूसरे कामों में ख़र्च कर रहे हैं, यह अमानत में ख़ियानत हो रही है, और इसका नतीजा यह है कि महीने के आख़िर में जो तन्ख़ाह मिल रही है, वह पूरी तरह हलाल नहीं हुयी, इसलिये कि वक़्त पूरा नहीं दिया।

दारुल उलूम देवबन्द के उस्तादों का मामूल

दारुल उलूम देवबन्द के हज़राते असातिज़ा–ए–किराम को देखिये, हक़ीक़त यह है कि अल्लाह तआला ने उनके ज़रिये सहाबा–ए–किराम के दौर की यादें ताज़ा करायीं, उन हज़राते असातिज़ा–ए–किराम की तन्ख़ाह 10 रुपये माहाना या पन्द्रह रुपये माहाना होती थी। लेकिन चूंकि जब तन्ख़ाह मुक़र्रर हो गयी, और अपने औक़ात मदरसे के हाथ बेच दिये, इसलिये उन हज़राते असातिज़ा का यह मामूल था कि अगर मदरसे के औक़ात के दौरान मेहमान या दोस्त अहबाब मिलने के लिये आते तो जिस वक़्त वे मेहमान आते फ़ौरन घड़ी देख कर वक़्त नोट कर लेते, और फिर उनको जल्द से जल्द निब्टाने की फ़िक्र करते, और जिस वक़्त वे मेहमान चले जाते, उस वक़्त घड़ी देख कर वक़्त नोट कर लेते। पूरा महीना इस तरह वक़्त

नोट करते रहते फिर जब महीना पूरा हो जाता तो वे असातिज़ा बाक़ायदा दरख़्वास्त देते कि इस महीने के दौरान इतना वक़्त मदरसे के काम के अलावा दूसरे कामों में ख़र्च किया है, इसलिये मेहरबानी फ़रमा कर मेरी तन्ख़ाह में से इतने वक़्त के पैसे काट लिये जायें, वे हज़राते असातिज़ा इसलिये ऐसा करते थे कि अगर हमने उस वक़्त की तन्ख़ाह ले ली तो वह तन्ख़ाह हमारे लिये हराम हो गयी, इसलिये वापस कर देते। आज तन्ख़ाह लेने के लिये तो दरख़्वास्तें दी जाती हैं तन्ख़ाह कटवाने के लिये दरख़्वास्त देने का तसव्वुर भी मुश्किल है।

हज़रत शैख़ुल हिन्द रह० की तन्ख़ाह

शैख़ुल हिन्द हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहिब रहमतुल्लाहि अलैहि जो दारुल उलूम देवबन्द के पहले तालिब इल्म हैं, जिनके ज़रिये दारुल उलूम देवबन्द की शुरूआत हुई, अल्लाह तआला ने उन को इल्म में, तक़्वे में, मारिफ़त में बहुत ऊंचा मक़ाम बख़्शा था। जिस ज़माने में आप दारुल उलूम देवबन्द में शैख़ुल हदीस थे, उस वक़्त आपकी तन्ख़ाह माहाना दस रुपये थी, फिर जब आपकी उमर ज़्यादा हो गयी और तजुर्बा भी ज़्यादा हो गया, तो उस वक़्त दारुल उलूम देवबन्द की मज्लिसे शूरा ने यह तै किया कि हज़रते वाला की तन्ख़ाह बहुत कम है, जब्कि आपकी उमर ज़्यादा हो गयी है। ज़रूरतें भी ज़्यादा हैं, मशाग़िल भी ज़्यादा हैं, इसलिये तन्ख़ाह बढ़ानी चाहिये। चुनांचे मज्लिसे शूरा ने यह तय किया कि अब आपकी तन्ख़ाह दस रुपये के बजाये पन्द्रह रुपये कर दी जाये, जब

तन्ख़ाह तक़्सीम हुयी तो हज़रते वाला ने देखा कि अब दस के बजाये पन्द्रह रुपये मिले हैं। हज़रते वाला ने पूछा कि ये पन्द्रह रुपये मुझे क्यों दिये गये। लोगों ने बताया कि मज्लिसे शूरा ने यह फ़ैसला किया है कि आपकी तन्ख़ाह दस रुपये के बजाये पन्द्रह रुपये कर दी जाये, आपने वह तन्ख़ाह लेने से इन्कार कर दिया, और दारुल उलूम देवबन्द के मोह्तमिम साहिब के नाम एक दरख़्वास्त लिखी कि हज़रत! आपने मेरी तन्ख़ाह दस रुपये के बजाये पन्द्रह रुपये कर दी है, हालांकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, पहले तो मैं चुस्ती के साथ दो तीन घन्टे सबक़ पढ़ा लेता था, और अब तो मैं कम पढ़ाता हूं, वक़्त कम देता हूं। इसलिये मेरी तन्ख़ाह में इज़ाफ़े का कोई जवाज़ नहीं, इसलिये जो इज़ाफ़ा आप हज़रात ने किया है यह वापस लिया जाये, और मेरी तन्ख़ाह उसी तरह दस रुपये कर दी जाये।

लोगों ने आकर हज़रते वाला से मिन्नत व समाजत शुरू कर दी कि हज़रत! आप तो अपने तक़्वे और परहेज़गारी की वजह से इज़ाफ़ा वापस कर रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों के लिये यह मुश्किल हो जायेगी कि आपकी वजह से उनकी तरक़्क़ियां रुक जायेंगी। इसलिये आप इसको मन्ज़ूर कर लें। मगर उन्हों ने अपने लिये उसको गवारा न किया। क्यों? इसलिये कि हर वक़्त यह फ़िक्र लगी हुयी थी कि यह दुनिया तो चन्द रोज़ की है, ख़ुदा जाने आज ख़त्म हो जाये या कल ख़त्म हो जाये, लेकिन यह पैसा जो मेरे पास आ रहा है, कहीं यह पैसा अल्लाह तआला के हुज़ूर हाज़िर होकर वहां शर्मिन्दगी का सबब न बन जाये।

दारुल उलूम देवबन्द आम यूनिवर्सिटी की तरह नहीं था कि उस्ताद ने सबक़ पढ़ा दिया और तालिब इल्म ने सबक़ पढ़ लिया। बल्कि वह इन अदाओं से दारुल उलूम देवबन्द बना है, अल्लाह तआला के सामने जवाब दही की फ़िक्र से बना है, इस परहेज़गारी और तक़्वे से बना है। इसलिये यह औक़ात जो हमने बेच दिये हैं, ये अमानत हैं, इसमें ख़ियानत न होनी चाहिये।

आज हुकूक़ के मुतालबे का दौर है

आज सारा ज़ोर हुकूक़ के हासिल करने पर है, हुकूक़ हासिल करने के लिये जुलूस और जलसे हो रहे हैं, नारे लगाये जा रहे हैं। और इस बात पर एहतिजाज हो रहा है कि हमें हमारे हक़ दो। हर शख़्स यह मुतालबा कर रहा है कि मुझे मेरा हक़ दो, लेकिन किसी को यह फ़िक्र नहीं कि दूसरों के हुकूक़ जो मुझ पर आयद हो रहे हैं वे मैं अदा कर रहा हूं या नहीं? आज यह मुतालबा किया जा रहा है कि मुझे इतनी छुट्टियां मिलनी चाहियें, मुझे इतना अलाऊंस मिलना चाहिये। लेकिन जो फ़राइज़ मुझे सौंपे गये हैं वे मैं अदा कर रहा हूं या नहीं? इसकी कोई फ़िक्र नहीं।

हर शख़्स अपने फ़राइज़ की निगरानी करे

हालांकि सच्ची बात यह है कि जब तक हमारी यह ज़ेहनियत बर क़रार रहेगी कि मैं दूसरे से हुकूक़ का मुतालबा करता रहूं, और मुझ से कोई हुकूक़ का मुतालबा न करे, मैं अपने फ़राइज़ से ग़ाफ़िल रहूं, और दूसरों से हुकूक़ का मुतालबा करता रहूं। याद रखो! उस वक़्त तक दुनिया में कोई

हक़ अदा नहीं होगा। हक़ अदा करने का सिर्फ़ एक रास्ता है, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हमें बताया है। वह यह है कि हर शख़्स अपने फ़राइज़ की निगरानी करे। मेरे ज़िम्मे जो फ़रीज़ा है, मैं उसको अदा कर रहा हूं या नहीं? जब इस बात का एहसास दिल में होगा तो फिर सब के हुकूक़ अदा हो जायेंगे। अगर शौहर के दिल में यह एहसास हो कि मेरे ज़िम्मे बीवी के जो फ़राइज़ हैं मैं उनको अदा कर दूं, बस बीवी का हक़ अदा हो गया, बीवी के दिल में यह एहसास हो कि मेरे ज़िम्मे शौहर के जो फ़राइज़ हैं, मैं उनको अदा कर दूं, बस शौहर का हक़ अदा हो गया। मज़दूर के दिल में यह एहसास हो कि मालिक के मेरे ज़िम्मे जो फ़राइज़ हैं मैं उनको अदा कर दूं, मालिक का हक़ अदा हो गया। और मालिक के दिल में यह एहसास हो कि मज़दूर के मेरे ज़िम्मे जो हुकूक़ हैं, वे मैं अदा कर दूं, मज़दूर का हक़ अदा हो गया। जब तक दिलों में यह एहसास पैदा नहीं होगा, उस वक़्त तक हुकूक़ के मुतालबे के सिर्फ़ नारे ही लगते रहेंगे और हुकूक़ की हिफ़ाज़त की अन्जुमनें ही क़ायम होती रहेंगी, और जलसे जुलूस निकलते रहेंगे। लेकिन उस वक़्त तक किसी का हक़ अदा न होगा जब तक कि अल्लाह तआला के सामने जवाब दही का एहसास न हो कि अल्लाह तआला के सामने मुझे उसके हुकूक़ का जवाब देना है। बस दुनिया में अम्न व सुकून का यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है।

यह भी नाप तौल में कमी है

इसलिये यह औक़ात हमारे पास अमानत हैं, क़ुरआने करीम ने फ़रमाया कि:

"وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ، الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ، وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْوَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ" (سورة المطففين:٣)

फ़रमाया कि उन लोगों के लिये दर्दनाक अज़ाब है जो नाप तौल में कमी करते हैं, जब दूसरों से वुसूल करने का वक़्त आता है तो पूरा पूरा वुसूल करते हैं। ताकि ज़रा भी कमी न हो जाये, लेकिन जब दूसरों को देने का वक़्त आता है तो उसमें कम देते हैं और डन्डी मारते हैं। ऐसे लोगों के बारे में फ़रमाया कि उनके लिये दर्दनाक अज़ाब है। अब लोग यह समझते हैं कि नाप तौल में कमी उस वक़्त होती है जब आदमी क़ोई सौदा बेचे, और उसमें डन्डी मारी जाये, हालांकि उलमा-ऐ-किराम ने फ़रमाया कि:

"التطفيف فى كل شئ"

यानी नाप तौल में कमी हर चीज़ में है। इसलिये अगर कोई शख़्स आठ घन्टे का मुलाज़िम है और वह पूरे आठ घन्टे की ड्यूटी नहीं दे रहा है, वह भी नाप तौल में कमी कर रहा है। और इस अज़ाब का हक़दार हो रहा है, इसका लिहाज़ करना चाहिये।

"मन्सब" और "ओहदा" ज़िम्मेदारी-का फन्दा

आज हम पर यह बला जो मुसल्लत है कि अगर किसी को सरकारी दफ़्तर में कोई काम पड़ जाये तो उस पर क़ियामत टूट पड़ती है, उसका काम आसानी से नहीं होता, बार

बार दफ़्तर के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कभी अफ़सर साहिब सीट पर मौजूद नहीं हैं, कभी काह जाता है कि आज काम नहीं हो सकता कल को आना, जब दूसरे दिन पहुंचे तो कहा कि परसों आना, चक्कर पर चक्कर लगवाये जा रहे हैं, इसकी वजह यह है कि अपने फ़र्ज़ का एहसास और अमानत का एहसास ख़त्म हो गया है, अगर किसी के पास कोई मन्सब है तो वह कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं है, वह कोई फूलों की सेज नहीं है, बल्कि वह ज़िम्मेदारी का एक फन्दा है, हुकूमत, इक़्तिदार, मन्सब, ओहदा ये सब ज़िम्मेदारी के फन्दे हैं, यह ऐसी ज़िम्मेदारी है कि हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि अगर दरिया-ए-फ़ुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा प्यासा मर जाये तो मुझे यह डर लगता है कि क़ियामत के रोज़ मुझ से यह सवाल न हो जाये कि ऐ उमर! तेरे ख़िलाफ़त के ज़माने में फ़लां कुत्ता भूखा प्यासा मर गया था।

क्या ऐसे शख़्स को ख़लीफ़ा बना दूं?

रिवायत में आता है कि जब हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पर क़ातिलाना हमला हुआ और आप शदीद ज़ख़्मी हो गये तो कुछ सहाबा-ए-किराम आपकी ख़िदमत में आये और अर्ज़ किया कि हज़रत आप दुनिया से तशरीफ़ लेजा रहे हैं, आप अपने बाद किसी को ख़लीफ़ा और जानशीन नामज़द फ़रमा दें, ताकि आपके बाद वह हुकूमत की बाग डोर संभाले, और बाज़ हज़रात ने यह तज्वीज़ पेश की कि आप अपने साहिबज़ादे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नामज़द फ़रमा दें ताकि आपकी वफ़ात के बाद वह

ख़लीफ़ा बन जायें, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले तो जवाब में फ़रमाया कि नहीं, तुम मुझ से ऐसे शख़्स को ख़लीफ़ा बनवाना चाहते हो, जिसे अपनी बीवी को तलाक़ देनी भी नहीं आती। (तारीख़ुल ख़ुलफ़ा लिस्सुयूती)

वाक़िआ यह हुआ था कि हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के ज़माने में एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी बीवी को हालते हैज़ यानी माहवारी के दिनों में तलाक़ दे दी थी, और मस्अला यह है कि जब औरत माहवारी की हालत में हो, उस वक़्त औरत को तलाक़ देना शर्अन ना जायज़ है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को यह मस्अला मालूम नहीं था, जब हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इसकी इत्तिला हुयी तो आपने फ़रमाया कि तुमने यह ग़लत किया, इसलिये अब रुजू करे लो, और फिर से अगर तलाक़ देनी हो तो पाकी की हालत में तलाक़ देना, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस वाक़िए की तरफ़ इशारा फ़रमाया कि तुम ऐसे शख़्स को ख़लीफ़ा बनाना चाहते हो जिसे अपनी बीवी को तलाक़ देनी भी नहीं आती। (तारीख़ुल ख़ुलफ़ा लिस्सुयूती व तारीख़े तिबरी)

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और एह्सासे ज़िम्मेदारी

उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन हज़रात को दूसरा जवाब यह दिया कि बात असल में यह है कि ख़िलाफ़त के बोझ का फन्दा ख़त्ताब की औलाद में इसी एक शख़्स के गले में पड़ गया तो यह काफ़ी है। मुराद अपनी ज़ात

थी कि बारह साल तक यह फन्दा मेरे गले में पड़ा रहा वही काफ़ी है, अब इस ख़ानदान के किसी और फ़र्द के गले में यह फन्दा मैं नहीं डालना चाहता। इस वास्ते कि कुछ पता नहीं कि जब अल्लाह तआला के सामने मुझे इस ज़िम्मेदारी का हिसाब देना होगा, उस वक़्त मेरा क्या हाल होगा। हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु वह शख़्स हैं जो ख़ुद नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ज़बानी यह ख़ुश ख़बरी सुन चुके हैं कि: "उमर फ़िल जन्नति" यानी उमर जन्नत में जायेगा। इस बशारत के बाद इस बात का कोई एहतिमाल बाक़ी नहीं रहता कि जन्नत में न जायें, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तआला के सामने हिसाब व किताब का डर और अमानत का इतना एहसास है। (तारीख़े तिबरी)

एक मौक़े पर आपने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन अगर मैं इस अमानत के हिसाब के नतीजे में बराबर सराबर भी छूट जाऊं कि मेरे ऊपर न कोई गुनाह हो न सवाब हो, और मुझे "आराफ़" में भेज दिया जाये (जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक इलाक़ा है जिसमें उन लोगों को रखा जायेगा जिनके गुनाह और सवाब बराबर होंगे) तो मेरे लिये यह भी काफ़ी है, और मैं छुटकारा पा जाऊंगा। हक़ीक़त यह है कि इस अमानत का एहसास जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता फ़रमायी है, अगर इस एहसास का थोड़ा सा ज़र्रा अल्लाह तआला हमारे दिलों में पैदा फ़रमा दे तो हमारे सारे मसाइले हल हो जायें।

पाकिस्तान का मस्अला नम्बर एक "ख़ियानत" है

एक ज़माने में यह बहस चली थी कि पाकिस्तान का मस्अला नम्बर एक क्या है? यानी सब से बड़ी मुश्किल क्या है जिसको हल करने के लिये अव्वलियत दी जाये। हकीक़त में मस्अला नम्बर एक "ख़ियानत" है आज अमानत का तसव्वुर हमारे ज़ेहनों में मौजूद नहीं है। अपने फ़राइज़ अदा करने का एहसास दिल से उतर गया। अल्लाह तआला के सामने जवाब दही का एहसास बाक़ी नहीं रहा, ज़िन्दगी तेज़ी से चल रही है जिसमें पैसे की दौड़ लगी हुयी है। खाने की दौड़ लगी हुयी है, इक़्तिदार की दौड़ है। इस दौड़ में एक दूसरे से बाज़ी ले जाने में लगे हुये हैं और अल्लाह तआला के सामने पेश होने की कोई फ़िक्र नहीं, आज सब से बड़ा मस्अला, और सारी बीमारियों की जड़ यही है। अल्लाह तआला हमारे दिलों के अन्दर यह एहसास पैदा फ़रमा दे तो मसाइल दुरुस्त हो जायें।

दफ़्तर का सामान अमानत है

जिस दफ़्तर में आप काम कर रहे हैं, उस दफ़्तर का जितना सामान है, वह सब आपके पास अमानत है। इसलिये कि वह सामान आपको इसलिये दिया गया है कि उसको दफ़्तरी कामों में इस्तेमाल करें, इसलिये आप उसको ज़ाती कामों में इस्तेमाल न करें। इसलिये कि यह भी अमानत में ख़ियानत है। लोग यह समझते हैं कि अगर दफ़्तर की मामूली चीज़ अपने ज़ाती काम में इस्तेमाल कर ली तो इसमें क्या हर्ज है? याद रखो ख़ियानत छोटी चीज़ की हो या बड़ी चीज़ की हो, दोनों हराम हैं और गुनाहे कबीरा हैं। दोनों में अल्लाह

तआ़ला की ना फ़रमानी है। इसलिये इन दोनों से बचना ज़रूरी है।

सरकारी चीज़ें अमानत हैं

जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि "अमानत" के सही मायने यह हैं कि किसी शख़्स ने आप पर भरोसा करके अपना कोई काम आपके सुपुर्द किया, और आपने वह काम उसके भरोसे के मुताबिक़ अन्जाम न दिया तो यह ख़ियानत होगी। ये सड़कें जिन पर आप चलते हैं, ये बसें जिन में आप सफ़र करते हैं, ये ट्रेनें जिनमें आप सफ़र करते हैं; ये सब अमानत हैं। यानी इनको जायज़ तरीक़े से इस्तेमाल किया जाये। और अगर उनको इस जायज़ तरीक़े से हट कर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वह ख़ियानत के अन्दर दाख़िल है। जैसे उसको इस्तेमाल करते वक़्त गन्दा और ख़राब कर दिया। आज कल तो लोगों ने सड़कों को अपनी ज़ाती मिल्कियत समझ रखा है। किसी ने खोद कर नाली निकाल ली और पानी जाने का रास्ता बना दिया। किसी ने सड़क घेर कर शामियाना लगा दिया। हालांकि फ़ुक़हा–ए–किराम ने यहां तक मस्अला लिखा है कि अगर एक शख़्स ने अपने घर का परनाला बाहर सड़क की तरफ़ निकाल दिया, तो उस शख़्स ने एक ऐसी फ़िज़ा इस्तेमाल की जो उसकी मिल्कियत में नहीं थी, इसलिये उस शख़्स के लिये सड़क की तरफ़ परनाला निकालना जायज़ नहीं। हालांकि वह परनाला कोई जगह नहीं घेर रहा है बल्कि फ़िज़ा के एक हिस्से में वह परनाला निकाला हुआ है। इस पर फ़ुक़हा–ए–किराम ने तफ़्सीली बहस की है कि कहां परनाला

निकालना जायज़ है, कितना निकालना जायज़ है, कितना निकालना हराम है। इसलिये कि वह जगह अमानत है, अपनी मिल्क का हिस्सा नहीं है।

हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का परनाला

हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु जो हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के चचा हैं उनके पर्नाले का क़िस्सा मशहूर है, उनका घर मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बिल्कुल साथ मिला हुआ था, उनके घर का एक परनाला मस्जिदे नबवी के सेहन में गिरता था, एक मर्तबा हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु की नज़र उस परनाले पर पड़ी तो देखा कि वह परनाला मस्जिद में निकला हुआ है। लोगों से पूछा कि यह परनाला किसका है, जो मस्जिद के सेहन की तरफ़ लगा हुआ है? लोगों ने बताया कि यह हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के चचा हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का परनाला है। आपने हुक्म फ़रमाया कि इसको तोड़ दो। मस्जिद की तरफ़ किसी को परनाला निकालना जायज़ नहीं। जब हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु को मालूम हुआ तो मुलाक़ात के लिये हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु के पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया कि उमर! यह तुमने क्या किया? उन्हों ने फ़रमाया कि यह परनाला मस्जिदे नबवी में निकला हुआ था इसलिये गिरा दिया, हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि यह परनाला मैंने नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इजाज़त से लगाया था, हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने जब यह

सुना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इजाज़त से लगाया था तो फ़ौरन फ़रमाया कि आप मेरे साथ चलें। चुनांचे मस्जिदे नबवी में तशरीफ़ लाकर ख़ुद झुक कर रुकूअ़ की हालत में खड़े हो गये और हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से फ़रमाया कि ऐ अब्बास! ख़ुदा के लिये मेरी कमर पर सवार होकर इस परनाले को दोबारा लगाओ, इसलिये कि ख़त्ताब के बेटे (यानी हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु) की यह मजाल कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इजाज़त दिये हुये परनाले को तोड़ दे, हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैं लगवा लूंगा, आप रहने दें, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि नहीं, जब मैंने तोड़ा है इसलिये अब मैं ही इसकी सज़ा भुगतूंगा। बहर हाल! शरीअ़त का असल मस्अला तो यही था कि हाकिम की इजाज़त के बग़ैर वह परनाला लगाना जायज़ नहीं था, लेकिन चूंकि हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु को हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसके लगाने की इजाज़त दे दी थी, इसलिये उसको लगाना उनके लिये जायज़ हो गया। (तबक़ात इब्ने सअ़्द)

आज यह हाल है कि जिस शख़्स का जितनी ज़मीन पर क़ब्ज़ा करने का दिल चाहा क़ब्ज़ा कर लिया और इसकी कोई फ़िक्र नहीं कि यह हम गुनाह कर रहे हैं। नमाज़ें भी हो रही हैं और यह ख़ियानत भी हो रही है। ये सब काम अमानत में ख़ियानत के अन्दर दाख़िल हैं, इस से परहेज़ करने की ज़रूरत है।

मज्लिस की गुफ़्तगू अमानत है

एक हदीस में हुज़ूरे अक़्दस सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इर्शाद फ़रमाया किः

"المجالس بالامانة" (جامع الاصول)

यानी मज्लिसों में जो बात की गयी हो वह भी सुनने वालों के पास अमानत है। जैसे दो तीन आदमियों ने आपस में मिल कर बातें कीं, बे तकल्लुफ़ी में आपस में एतिमाद की फ़िज़ा में राज़ की बातें कर लीं, अब उन बातों को उनकी इजाज़त के बग़ैर दूसरों तक पहुंचाना भी ख़ियानत के अन्दर दाख़िल है, और ना जायज़ है। जैसे बाज़ लोगों की आदत होती है कि इधर की बात उधर लगा दी, और उधर की बात इधर लगा दी। यह सारा फ़ितना फ़साद इसी तरह फैलता है। लेकिन अगर मज्लिस में कोई ऐसी बात कही गयी हो जिस से दूसरों को नुक़सान पहुंचने का ख़तरा है, जैसे दो तीन आदमियों ने मिल कर यह साज़िश की कि फ़लां वक़्त पर फ़लां शख़्स के घर पर हमला करेंगे। अब ज़ाहिर है कि यह बात ऐसी नहीं है जिसको छुपाया जाये, बल्कि उस शख़्स को बता दिया जाये कि तुम्हारे ख़िलाफ़ यह साज़िश हुयी है। लेकिन जहां इस क़िस्म की बात न हुयी हो वहां किसी के राज़ की बात दूसरों तक पहुंचाना ना जायज़ है।

राज़ की बातें अमानत हैं

कभी कभी ऐसा होता है कि वह राज़ की बात मज्लिस में एक शख़्स ने सुनी, उसने जाकर दूसरे को यह ताकीद करके सुना दी कि यह राज़ की बात बता रहा हूं तुम्हें तो बता दी,

लेकिन किसी और से मत कहना। अब वह समझ रहा है कि यह ताकीद करके मैंने राज़ का हिफ़ाज़त कर ली, कि आगे यह बात किसी और को मत बताना। अब सुनने वाला आगे तीसरे शख़्स को वह राज़ की बात इस ताकीद के साथ बता देता है कि, यह राज़ की बात है, तुम किसी और से मत कहना, यह सिलसिला आगे इसी तरह चलता रहता है और यह समझा जाता है कि हमने अमानत का ख़्याल कर लिया। हालांकि जब वह बात राज़ थी और दूसरों से कहने को मना किया गया था तो फिर इस ताकीद के साथ कहना भी अमानत के ख़िलाफ़ है, यह ख़ियानत है और जायज़ नहीं।

ये वे चीज़ें हैं जिन्हों ने हमारे मुआशरे (समाज) में फ़साद बर्पा कर रखा है। आप ग़ौर करके देखेंगे तो यही नज़र आयेगा कि फ़साद इसी तरह बरपा होते हैं कि फ़लां शख़्स तो आपके बारे में यह कह रहा था, अब उसके दिल में उसके ख़िलाफ़ ग़ुस्सा और बुग़ज़ और दुश्मनी पैदा हो गयी, इसलिये इस लगाई बुझाई से नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मना फ़रमाया।

टेलीफ़ोन पर दूसरों की बातें सुनना

दो आदमी आपसे अलग होकर आपस में काना–फूसी कर रहे हैं। और आप छुप कर उनकी बातों को सुनने की फ़िक्र में लगे हुये हैं कि मैं उनकी बातें सुन लूं कि क्या बातें हो रही हैं, यह अमानत में ख़ियानत है।

या टेलीफ़ोन करते वक़्त किसी की लाइन आपके फ़ोन से मिल गयी अब आपने उनकी बातों को सुनना शुरू कर दिया।

यह सब अमानत में ख़ियानत है, जासूसी में दाख़िल है, और ना जायज़ है। हालांकि आज इस पर बड़ा फ़ख़्र किया जाता है कि मुझे फ़लां का राज़ मालूम हो गया, इसको बड़ा हुनर और फ़न समझा जाता है। लेकिन नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमा रहे हैं, यह ख़ियानत के अन्दर दाख़िल है और ना जायज़ है।

ख़ुलासा

ग़र्ज़ यह है कि अमानत में ख़ियानत के मिस्दाक़ इतने हैं कि शायद ज़िन्दगी का कोई गोशा ऐसा नहीं है जिसमें हमें अमानत का हुक्म न हो, और ख़ियानत से हमें रोका न गया हो। ये सारी बातें जो मैंने ज़िक्र की हैं, ये सब अमानत के ख़िलाफ़ हैं और निफ़ाक़ के अन्दर दाख़िल हैं। इसलिये यह हदीस हर वक़्त ज़ेहन में रहनी चाहिये कि तीन चीज़ें मुनाफ़िक़ की निशानी हैं। बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो उसकी ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे और अगर उसके पास कोई अमानत आये तो उसमें ख़ियानत करे। अल्लाह तआ़ला हमारी और आपकी इससे हिफ़ाज़त फ़रमाये, यह सब दीन का हिस्सा है, हम लोगों ने दीन को बहुत महदूद कर रखा है और अपनी रोज़ मर्रा की ज़िन्दगी में इन बातों को भुला रखा है। अल्लाह तआ़ला अपनी रहमत से हमारे दिलों में फ़िक्र पैदा फ़रमा दे, और इसकी तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमा दे कि नबी–ए–करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बताये हुये इस तरीक़े पर हम अ़मल करें, आमीन।

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين